समाहरणालय, समस्तीपुर
जिला योजना कार्यालय
(निविदा आमंत्रण सूचना)

दूरभाष सं०:– 06274 225182 (का०)
फैक्स सं०:– 06274 225182
E-mail:- dpo.spr@gmail.com

91

श्री रामनाथ ठाकुर, माननीय सांसद, (राज्यसभा) एवं श्रीमती एज्या यादव, माननीय स०वि०स० मोहिउद्दीननगर से अपने–अपने क्षेत्राधीन हेतु अग्निशामन वाहन क्रय कर उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है। उनके अनुशंसा के आलोक में अग्निशमन वाहन के सभी निर्माता कम्पनियों और उनके प्राधिकृत विक्रेता से अग्निशामन वाहन की आपूर्ति हेतु मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसके लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अगल लिफाफे में दिनांक 05.05.2017 को 2:30 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, समस्तीपुर में दाखिल कर सकते हैं। जिला क्रय समिति के समक्ष जिला पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक 05.05.2017 को 3:30 बजे अपराह्न में निविदा खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।

अग्निशामक वाहन का प्रकार/विष्टियाँ :–

(1) (क) वाटर टेंडर टाईप 'बी' (लगभग 16 टन के चेसिस पर निर्मित पूर्णतः बिल्ट अप फायर इंजिन)
(ख) अग्निशामक वाहन में पानी टैंक की क्षमता 4500 लीटर पानी टैंक के साथ।
(ग) मार्का IS 950/1980 एवं कुछ आधुनिक उपकरणों के साथ।

(2) (क) वाटर टेंडर टाईप 'बी' (लगभग 09 टन के चेसिस पर निर्मित पूर्णतः बिल्ट अप फायर इंजिन)
(ख) अग्निशामक वाहन में पानी टैंक की क्षमता 3000 लीटर पानी टैंक के साथ।
(ग) मार्का IS 950/1980 एवं कुछ आधुनिक उपकरणों के साथ एवं IS 942/1982 के अनुरूप एक 275 एल०पी०एम० का पोर्टेबुल पम्प के साथ।

(3) (क) वाटर टेंडर टाईप 'बी' (लगभग 07 टन के चेसिस पर निर्मित पूर्णतः बिल्ट अप फायर इंजिन)
(ख) अग्निशामक वाहन में पानी टैंक की क्षमता 2500 लीटर पानी टैंक के साथ।
(ग) मार्का IS 950/1980 एवं कुछ आधुनिक उपकरणों के साथ एवं IS 942/1982 के अनुरूप एक 275 एल०पी०एम० का पोर्टेबुल पम्प के साथ।

तकनीकी निविदा की शर्त्ते :–

1. निविदादाता को अग्निशामक वाहन सभी उपकरणों के साथ आपूर्त्ति करना अनिवार्य होगा।
2. अग्निशामन वाहन का मूल्य सभी कर सहित अंकित करना होगा।
3. अग्निशामन वाहन का मॉडल एवं रंगीन कैटलक निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
4. अग्निशामन वाहन का गारंटी/वारंटी अवधि स्पष्ट करना होगा।
5. अग्निशामन वाहन की आपूर्त्ति चयनित स्थल पर करते हुए वाहन चालू कर दिखाना होगा।
6. वाहन के स्टैण्डर मैटेरियल जाँच प्रमाण–पत्र IS 950/1980 के अनुरूप रहना अनिवार्य होगा।
7. वाहन आपूर्त्तिकर्त्ता को वाहन के पार्ट–पूर्जा एवं सेवा(देख–रेख) आपूर्त्ति तिथि से 10 वर्षो तक करना होगा।
8. तकनीकी निविदा में अग्निशामक वाहन के लागत राशि का दो प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप मे राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से संलग्न करना होगा।
9. तीन वर्षो का आयकर रिटर्न एवं पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
10. वाणिज्यकर विभाग से निबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
11. अग्निशामक वाहन आपूर्त्ति एंसोरेश/सजिस्टेशन के साथ करना होगा।
12. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ–पत्र देना होगा।
13. निविदादाता को इस आशय का शपथ प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्त्ते मान्य है।

वित्तीय निविदा की शर्त्ते :–

1. आपूर्त्तिकर्ता/निर्माता कम्पनी को विशिष्टियों के अनुरूप आपूर्त्ति एवं अधिष्ठापन हेतु तीनों प्रकार के वाहनों का अलग–अगल प्रति ईकाइ दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।

सामान्य शर्त्ते :–

1. आपूर्त्ति किये जानेवाले वाहन का अलग से कोई खर्च नही दी जायेगी।
2. किसी भी तरह का विवाद होने का न्यायिक क्षेत्र समस्तीपुर होगा।
3. तकनीकी निविदा के जॉचोपरांत निर्धारित मानक पर खरा उतरने के पश्चात ही निविदादाता का वित्तीय बीड खोला जायेगा।
4. निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा लिफाफा एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा लिफाफा अवश्य लिखा होना चाहिए। दोनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
5. क्रय समिति में चयनित निविदादाता को कोई अग्रिम नही दिया जायेगा, ससमय आपूर्त्ति / जाँच / गुणवता के आधार पर राशि भुगतान की जायेगी।

11/5/17

जिला योजना पदाधिकारी
समस्तीपुर

F:/Sharma/Nivida/Tender